

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -505/2023

अनवान : -

1. अजय सिंह पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
2. लीलाधर पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. रूघाराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
2. माया देवी पुत्री रूघाराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 19.06.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 294/189 की कुल 11.5140 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि पूर्व में वादीगण के दादा सुरजाराम के नाम दर्ज थी। उनकी फौतदगी के बाद प्रतिवादी स0 1 के नाम उपरोक्त भूमि दर्ज हुई। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीया स0 2 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है।

प्रतिवादीया स0 2 जो की वादीगण की बहिन एवं प्रतिवादी स0 1 की पुत्री है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग रोही मौजा राणीसर के खाता स0 294/189 के ख0न0 393/175 की 2.2500 हैक्ट, ख0न0 394/175 की 0.253 हैक्ट, ख0न0 402/143 की 0.6320 हैक्ट, ख0न0 405/173 की 3.8990 हैक्ट, कुल 7.034 हैक्ट भूमि में से 3.998 हैक्ट भूमि का वादी स0 1 अकेला, 3.036 हैक्ट भूमि का वादी स0 2 एवं ख0न0 399/195 की 4.4800 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 खातेदार काश्तकार रहेगे।

वादीगण ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे



किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादीगण का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 व 2 ने उपस्थित आकर वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही। साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में पेश होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया की उक्त वाद भूमी वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमे वादीगण एवं प्रतिवादी स0 2 का प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है। प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 व 2 ने वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं हैं। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 294/189 की कुल 11.5140 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स0 1 व 2 द्वारा इकबाल जवाब दावा पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी स0 1 व 2 को कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादीया स0 2 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादीगण के वाद को प्रतिवादी स0 1 व 2 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा राणीसर के खाता स0 294/189 के ख0न0 393/175 की 2.2500 हैक्ट, ख0न0 394/175 की 0.253 हैक्ट, ख0न0 402/143 की 0.6320 हैक्ट, ख0न0 405/173 की 3.8990 हैक्ट, अर्थात 7.034 हैक्ट भूमि में से 3.998 हैक्ट भूमि का वादी स0 1, 3.036 हैक्ट भूमि का वादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं एवं ख0न0 399/195 की 4.4800 हैक्ट


उपखण्ड अधिकारी (राजकी)
नोहर (हनुमानगढ़)

भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक...19/6/23...को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-चक सरदारपुरा

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -505/2023

अनवान : -

1. अजय सिंह पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
2. लीलाधर पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. रूघाराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
2. माया देवी पुत्री रूघाराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 505 सन 2023 निर्णय दिनांक 19.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा राणीसर के खाता स0 294/189 के ख0न0 393/175 की 2.2500 हैक्ट, ख0न0 394/175 की 0.253 हैक्ट, ख0न0 402/143 की 0.6320 हैक्ट, ख0न0 405/173 की 3.8990 हैक्ट, अर्थात् 7.034 हैक्ट भूमि में से 3.998 हैक्ट भूमि का वादी स0 1, 3.036 हैक्ट भूमि का वादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं एवं ख0न0 399/195 की 4.4800 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19.06.2023 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-चक सरदारपुरा